महिला छात्रावास

Girls Hostel

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation
University,Lucknow.

पत्रांक :103/डॉ0श0मि0रा0पु0वि0वि0/महिला–छात्रावास/2022–23 दिनाँक :20 सितम्बर, 2022

//सूचना//

विश्वविद्यालय में नव–प्रवेशित शैक्षिक सत्र 2022–23 के समस्त दिव्यांग छात्राओं को महिला छात्रावास में कक्ष आवंटन हेतु आवंटन आवेदन फार्म महिला छात्रावास कार्यालय से प्राप्त कर समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों के साथ छात्रावास कार्यालय में दिनांक–31.10.2022 तक जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में छात्रावास आवंटन नही किया जायेंगा। आवंटन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करने हेतु समस्त प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है:–

1. नवीन प्रवेश शुल्क की रसीद (सत्र–2022–23)।
2. आधार कार्ड।
3. मूल निवास प्रमाण–पत्र।
4. जाति प्रमाण–पत्र।
5. कोविड–19 शपथ–पत्र/सहमति पत्र (विद्यार्थी एवं अभिभावक का हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र)।
6. पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो (विद्यार्थी व माता–पिता)।
7. दिव्यागंता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण–पत्र।
9. माता पिता का आधार कार्ड की छायाप्रति।

(डॉ0 विनोदिनी कटियार)
अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला छात्रावास

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3– सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(डॉ0 विनोदिनी कटियार)
अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला छात्रावास

क्रमांक S. No. .....

सत्र Session 20.....-- 20.....

छात्रावास आवंटन आवेदन-पत्र
Application Form for Hostel Allotment

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा करें Paste here

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा To be filled by Office

Alloted Room No. (आवंटित कक्ष संख्या) ..... Fee Details

(शुल्क विवरण): .....

Date दिनांक: ..... Challan No. चालान संख्या:

छात्रावास विद्यार्थियों हेतु Students of Hostel

विगत वर्ष छात्रावास आवंटन आवेदन पत्र संख्या Application Form No. of Last Year Allotment:

Name of Student (in capital letters): .....

विद्यार्थी का नाम (हिंदी में): .....

Mob.no of Student.....

पाठ्यक्रम (जिसमें नामांकित हैं) Course (in which, enrolled): .....

सेमेस्टर/वर्ष Semeter/Year .....

प्रवेश शुल्क रसीद सं0/दिनांक Admission Receipt No. & Date: ..... अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत %age of Last Examination: .....

स्थानीय संरक्षक का नाम Local Guardian's Name: ..... विद्यार्थी से सम्बन्ध Relation with students .....

स्थानीय संरक्षक का पता Address of local guardian:

..... संरक्षक का मोबाइल न०

Mob. No. of local guardian .....

Declaration by the Student

विद्यार्थी द्वारा घोषणा

I_____hereby declare that the particulars furnished by me (specially duration of hostel allotment) in this registration form are true to the best of my knowledge and belief. In case any information is found to be incorrect, University shall have full right to punish/rusticate me.

मैं..... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में जो जानकारी दी गई है (विशेषकर विगत वर्षों में छात्रावास में रहने की अवधि), मेरे अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय को मुझे दण्डित/निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक Date:.....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

Signature/Thumb Impression of the Student

Undertaking (I)
प्रतिबद्धता (I)

I understand that:

1. Consumption and possession of all types of alcohol, cigarettes, narcotics and other drugs would automatically debar the student from residing in the University hostel and campus.
2. It is required to maintain the decorum in the hostel premises. Misbehavior with fellow students/hostel staff/Warden (s) will lead to rustication from the hostel.
3. Hostel administration reserves the right to allow or not to allow of any student in the hostel.
4. I shall abide by all the rules and regulations prescribed by the University and amended time to time and cooperate. I shall vacate the hostel room within four days from the last date of examination at the end of even semester.

मैं समझता/समझती हूँ कि:

1. सभी प्रकार के अल्कोहल, सिगरेट, नॉरकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपभोग करने एवं उनको रखने से विद्यार्थी को स्वतः विश्वविद्यालय छात्रावास एवं परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा।
2. छात्रावास परिसर में मर्यादा बनाए रखना अपेक्षित होगा। सहपाठियों/हॉस्टल स्टाफ/वार्डेन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
3. किसी विद्यार्थी को छात्रावास में अनुमति प्रदान करने अथवा न प्रदान करने का अधिकार छात्रावास प्रशासन के पास आरक्षित होगा।
4. मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों तथा समय–समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग करूंगा। मैं सम–सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा की अंतिम तिथि से चार दिनों के भीतर छात्रावास का कमरा खाली कर दूंगा।

Signature of Parent/Guardian
माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____

Signature of Student
विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____

Anti Ragging Declaration/Undertaking (II)
एन्टी रैगिंग घोषणा/प्रतिबद्धता (II)

I, _____ Son/Daughter of _____ student of (course)_____ Semester_____ Year _____ Session_____ do hereby solemnly affirm and undertake that I shall not indulge in any form of Ragging and that shall make determine efforts to eradicate ragging totally.

I am fully aware that ragging of junior or other fellow students through physical or mental harassment is a heinous social evil and cognizable offence, that the barbarous act of ragging may disturb the mental balance of the students besides causing physical harm, that this may result into damaging consequence and adversely affect his career permanently and that serious cognizance shall be taken if I am found involved in ragging or of any complaint in this regard which may lead to my rustication form this University and also lodging a complaint with the police for taking action against me under the prevailing rules.

Further, I undertake to follow the hostel rules as well as the directives given by hostel administration and I shall be liable for disciplinary action, including expulsion from hostel, if I am found violating the same.

In the event of my in-eligibility to continue in the class for which I have registered, I shall vacant the Hostel immediately.

मैं, ...पुत्र/पुत्री..... विद्यार्थी पाठ्यक्रम ..... सेमेस्टर ..... सत्र ..... शपथपूर्वक प्रतिबद्ध हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा रैगिंग को पूर्णतया समाप्त करने हेतु निश्चित प्रयास करूँगा/करूँगी।

मैं पूर्णतया अवगत हूँ कि कनिष्ठ अथवा अन्य सहपाठियों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना एक जघन्य सामाजिक बुराई एवं संज्ञेय अपराध है, तथा रैगिंग के क्रूरतापूर्ण कृत्य से विद्यार्थी का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने के साथ उसे शारीरिक क्षति पहुँच सकती है, तथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं एवं उसका कैरियर स्थायी रूप में प्रभावित हो सकता है और यदि मैं रैगिंग में संलिप्त पाया गया अथवा इससे सम्बन्धित मेरे विरूद्ध शिकायत पाई गयी तब इसका संज्ञान लेते हुए मुझे विश्वविद्यालय के छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी जायेगी।

पुनश्च, मैं छात्रावास के नियमों तथा छात्रावास प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हूँ तथा यदि मेरे द्वारा उक्त की अवहेलना की जाती है तब मेरे विरूद्ध छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिस कक्षा में मैं पंजीकृत हूँ यदि किसी कारणवश मुझे अयोग्य पाया जाता है तब मैं तत्काल छात्रावास खाली कर दूँगा/दूँगी।

Signature of Parent/Guardian
माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
Name (नाम) : _____
Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): _____

Signature of Student
विद्यार्थी के हस्ताक्षर
Name (नाम): _____
Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष): _____

छात्र/छात्राओं एवं उनके माता–पिता द्वारा छात्रावास हेतु देय सहमति/घोषणा/शपथ–पत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो

(पिता)

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो

(माता)

1. विद्यार्थी का नाम.....

2. पिता का नाम.....मो0नं0.....

3. माता का नाम.....मो0नं0.....

4. ब्लॉक.....कक्ष सं0.....

5. विभाग/संकाय/कक्षा.....सेमेस्टर.....

6. दिव्यागंता.....

7. जाति.....

8. जन्म तिथि.....

9. पिता का आफिस का पता .....

मो0नं0(आफिस).....

माता का आफिस का पता.....

मो0नं0(आफिस).....

10. स्थाई पता.....

.....

11. वर्तमान का पता.....

.....

12. कोविड–19 की जॉच–रिपोर्ट (लखनऊ) हॉ नहीं

13. विश्वविद्यालय थर्मल स्कैनिंग की जॉच रिपोर्ट डाक्टर हस्ताक्षर दिनांक सहित

मैं, ...पुत्र/पुत्री..... विद्यार्थी पाठ्यक्रम ..... सेमेस्टर/वर्ष ..... सत्र .....शपथपूर्वक प्रतिबद्ध/वचनवद्ध होकर बयान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में बिन्दु 01से 13 तक में वर्णित सभी तथ्य सत्य/सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी/विश्वसनीय हैं। मैं कोविड/कोरोना बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ तथा पूर्व में भी उक्त संक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। मेरे द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत छात्रावास, 2021–22 छात्रावास प्रवेश हेतु जारी Standard Operating Procedure (SOP) का अनुपालन किया जायेगा। मेरे छात्रावास में आवासित रहने के समय यदि मैं कोविड–19 एवं अन्य माहामारी से ग्रसित पाया जाता हूँ अथवा इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा तथा मेरे माता–पिता को किसी भी प्रकार कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर विश्वविद्यालय एवं छात्रावास प्रशासन मेरे विरूद्ध अनुशासनात्क/दण्डनात्मक कार्यवाही छात्रावास से निष्कासित करने के साथ–साथ परीक्षा से विरक्त कर सकता है। मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी दिशा–निर्देशों/गाइड लाइन/शर्तों/नियमों/विनियमों का अनुपालन करूंगा/करूँगी तथा समय–समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग करूंगा/करूँगी। मैं परीक्षा की अंतिम तिथि से एक दिन बाद छात्रावास का कमरा खाली कर दूंगा/दूंगी।

विद्यार्थी के पूर्ण नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित
Student's Contact no. (सम्पर्क/दूरभाष):_____

पिता/अभिभावक हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)
Father's Signature Contact no. _____

माता के हस्ताक्षर (सम्पर्क/दूरभाष)
Mother's Signature Contact no. _____

चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट
महिला छात्रावास

नोटः–(उपरोक्त घोषणा–पत्र फॉरमेट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर मॉगी गयी सूचना अंकित/संलग्न करें।)

छात्र छात्रावास पहचान–पत्र

1. विद्यार्थी का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. विभाग / संकाय / कक्षा.....सेमेस्टर.....
5. दिव्यागंता.....
6. जाति.....
7. जन्म तिथि.....
8. ब्लॉक.....कक्ष सं0.....
9. छात्रावास पंजीयन तिथि.....
10. स्थाई पता.....

.....

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो

छात्र हस्ताक्षर दिनांक सहित

चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवास्ट
महिला / पुरूष छात्रावास

छात्र छात्रावास पहचान–पत्र

11. विद्यार्थी का नाम.....
12. पिता का नाम.....
13. माता का नाम.....
14. विभाग / संकाय / कक्षा.....सेमेस्टर.....
15. दिव्यागंता.....
16. जाति.....
17. जन्म तिथि.....
18. ब्लॉक.....कक्ष सं0.....
19. छात्रावास पंजीयन तिथि.....
20. स्थाई पता.....

.....

नवीनतम पासपोर्ट साइज स्वप्रमाणित फोटो

छात्र हस्ताक्षर दिनांक सहित

चीफ प्रोवोस्ट / अतिरिक्त चीफ प्रोवास्ट
महिला / पुरूष छात्रावास

HAKUNTALA MISRA NATIONAL REHABILITATION UNIVERSITY
LUCKNOW

HOSTEL

UNDERTAKING

I ----------Son/Daughter Ms/Mrs of ----------seeking admission in ---------- at Girls hostel Dr. Shakuntala misra National Rehabilitation University, Lucknow is unable to submit the following documents to Admission Committee at Girls Hostel at the time of counseling:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I do herby undertake to submit the above mentioned documents within 20 Days Without fail.

Name:

Father:s Name:

Date:

Signature:

FOR ADMISSION COMMITETEE

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Undertaking प्रतिबद्धता (I)

I understand that मैं समझता/समझती हूँ कि:

1. Consumption and possession of all types of alcohol, cigarettes, narcotics and other drugs would automatically debar the student from residing in the University hostel and campus. सभी प्रकार के अल्कोहल, सिगरेट, नॉरकोटिक्स एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपभोग करने एवं उनको रखने से विद्यार्थी को स्वतः विश्वविद्यालय छात्रावास एवं परिसर से निष्कासित कर दिया जायेगा।
2. It is required to maintain the decorum in the hostel premises. Misbehavior with fellow students/hostel staff/Warden (s) will lead to rustication from the hostel. छात्रावास परिसर में मर्यादा बनाए रखना अपेक्षित होगा। सहपाठियों/हॉस्टल स्टाफ/वार्डेन के साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
3. Hostel administration reserves the right to allow or not to allow of any student in the hostel. किसी विद्यार्थी को छात्रावास में अनुमति प्रदान करने अथवा न प्रदान करने का अधिकार छात्रावास प्रशासन के पास आरक्षित होगा।
4. I shall abide by all the rules and regulations prescribed by the University and amended time to time and cooperate. I shall vacate the hostel room within four days from the last date of examination at the end of even semester. मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों तथा समय–समय पर संशोधनों का पालन कर सहयोग करूंगा। मैं सम–सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा की अंतिम तिथि से चार दिनों के भीतर छात्रावास का कमरा खाली कर दूंगा।

Anti Ragging Declaration/Undertaking (II) एन्टी रैगिंग घोषणा/प्रतिबद्धता (II)

I do hereby solemnly affirm and undertake that I shall not indulge in any form of Ragging and that shall make determine efforts to eradicate ragging totally. I am fully aware that ragging of junior or other fellow students through physical or mental harassment is a heinous social evil and cognizable offence, that the barbarous act of ragging may disturb the mental balance of the students besides causing physical harm, that this may result into damaging consequence and adversely affect his career permanently and that serious cognizance shall be taken if I am found involved in ragging or of any complaint in this regard which may lead to my rustication form this University and also lodging a complaint with the police for taking action against me under the prevailing rules. Further, I undertake to follow the hostel rules as well as the directives given by hostel administration and I shall be liable for disciplinary action, including expulsion from hostel, if I am found violating the same. In the event of my in-eligibility to continue in the class for which I have registered, I shall vacant the Hostel immediately.

मैं शपथपूर्वक प्रतिबद्ध हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा रैगिंग को पूर्णतया समाप्त करने हेतु निश्चित प्रयास करूँगा/करूँगी। मैं पूर्णतया अवगत हूँ कि कनिष्ठ अथवा अन्य सहपाठियों को शारीरिक अथवा मानसिक रूप में प्रताड़ित करना एक जघन्य सामाजिक बुराई एवं संज्ञेय अपराध है, तथा रैगिंग के क्रूरतापूर्ण कृत्य से विद्यार्थी का मानसिक सन्तुलन बिगड़ने के साथ उसे शारीरिक क्षति पहुँच सकती है, तथा इसके घातक परिणाम हो सकते हैं एवं उसका कैरियर स्थायी रूप में प्रभावित हो सकता है और यह कि यदि मैं रैगिंग में संलिप्त पाया गया अथवा इससे सम्बन्धित मेरे विरूद्ध शिकायत पाई गयी तब इसका संज्ञान लेते हुए मुझे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी जायेगी। पुनश्च, मैं छात्रावास के नियमों तथा छात्रावास प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध हूँ तथा यदि मेरे द्वारा उक्त की अवहेलना की जाती है तब मेरे विरूद्ध छात्रावास से निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिस कक्षा में मैं पंजीकृत हूँ यदि किसी कारणवश मुझे अयोग्य पाया जाता है तब मैं तत्काल छात्रावास खाली कर दूँगा/दूँगी।

छात्रावास विनियम, 2019

1. छात्रावास में प्रवेश

1.1 छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधा है जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए है।

1.2 छात्रावास में कक्ष आवंटन करने के लिए प्रार्थना पत्र/ आवेदन करने मात्र से ही छात्रावास आवंटित नहीं किया जाएगा। कक्ष आवंटन का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 छात्रावास के प्रत्येक कक्ष में अधिकतम दो विद्यार्थियों को रखा जाएगा जो कि किसी भी पाठ्यक्रम, विकलांगता, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के हो सकते हैं।

1.4. विद्यार्थी अपनी इच्छा से अपना कक्ष नहीं बदल सकते। आवंटित कक्ष में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर छात्रावास प्रशासन को उसकी सूचना दें, जिससे कक्ष बदलाव पर विचार किया जा सके।

1.5 छात्रावास में प्रत्येक वर्ष पुरातन तथा नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्ष आवंटित किया जाएगा। जिसमें पुरातन विद्यार्थी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे पुनः विगत वर्ष का ही कक्ष आवंटित किया जाए।

1.6 विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा छात्रावास के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने पर एवं छात्रावास पंजीकरण फार्म में संलग्न किये जाने वाले समस्त अभिलेख फार्म के साथ ही छात्रावास में आवासित पुराने छात्र/छात्राओं द्वारा अनिवार्य रूप से अदेयता प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जमा करने पर ही विद्यार्थियों को कक्ष का आवंटन किया जाएगा। ऐसा न होने की स्थिति में आवेदन पत्र अधूरा माना जायेगा और प्रवेश प्रक्रिया के लिये स्वीकार्य नहीं होगा।

1.7 प्रवेश के समय सभी छात्र/छात्राओं के माता/पिता/अभिभावक का उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

1.8 फार्म में माँगी गई प्रत्येक सूचना उल्लिखित करनी अनिवार्य है। अपूर्ण फार्म स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

1.9 आवंटन होने के 05 दिवस के अन्दर विद्यार्थी को छात्रावास में प्रस्तुत होना होगा तथा छात्रावास में रहने के लिए अपनी सहमति लिखित रूप से देनी होगी। यदि कोई विद्यार्थी बिना पूर्व लिखित सूचना/प्रार्थना-पत्र/अनुमति के 01 माह से अधिक समय के लिए छात्रावास में अनुपस्थित रहता है, तो उस विद्यार्थी का छात्रावास आवंटन स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

1.10 प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के उपरान्त तथा सेमेस्टर ब्रेक होने पर छात्रावास में आवासित सभी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को छात्रावास खाली करने की सूचना निर्गत होने के तीन दिवस के अन्दर छात्रावास खाली करना अनिवार्य होगा, जिससे छात्रावास में मरम्मत का कार्य कराया जा सके।

1.11 छात्रावास में आवासित कोई विद्यार्थी किसी भी अवैधानिक कार्य अथवा छात्रावास का अनुशासन भंग करने में संलिप्त पाया जाता है तो उस विद्यार्थी के विरूद्ध निकटवर्ती थाने में विधिक कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ ही तत्काल उक्त विद्यार्थी का छात्रावास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

1.12 छात्रावास में छात्र/छात्राओं हेतु डिप्लोमा कोर्स हेतु 2 वर्ष, स्नातक पाठ्यक्रम हेतु 3 वर्ष, परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु 2 वर्ष तथा पी-एच.डी. हेतु 3 वर्ष के लिए ही कक्ष आवंटित किया जाएगा। BPO, BASLP, BVA एवं B.Com-LLB पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के लिए ही छात्रावास का आवंटन किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसी विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक के पश्चात् पी-एच.डी. में अध्ययनरत् रहता है, तो उक्त स्थिति में उस छात्र/छात्रा को अधिकतम 8 वर्ष तक ही कक्ष आवंटन किया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में दूसरी बार परास्नातक यथा Double M.A./M.Com./M.Sc. करने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

1.13 विश्वविद्यालय के छात्रावास में आवासित उन्हीं दिव्यांग छात्र/छात्राओं का छात्रावास एवं मेस शुल्क निःशुल्क किया जाएगा जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत हो तथा संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

1.14 स्थानीय दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा तभी दी जायेगी जब वे 100 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी के होंगे। किन्तु गैर-दिव्यांग स्थानीय विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

1.15 छात्रावास केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये ही आंवटित किया जायेगा। यदि दिव्यांग विद्यार्थी एक सेमेस्टर में 02 से अधिक प्रश्न-पत्रों में एवं गैर-दिव्यांग 01 से अधिक प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण/बैक पेपर है तो उन्हें छात्रावास का आंवटन नही किया जायेगा।

1.16 स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा सशुल्क उपलब्ध रहेगी।

1.17 ऐसे विद्यार्थी जिनकी दिव्यांगता पर संशय है, छात्रावास आवंटन के समय उनकी दिव्यांगता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सकता है।

1.18 विश्वविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के उचित समावेशन एवं उन्हें आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सत्र 2019-20 से प्राथमिकता के आधार पर गैर दिव्यांग जनों को श्रवण अथवा अस्थि दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ कक्ष साँझा करना होगा।

1.19 छात्रावास में कक्ष आवंटन हेतु वरीयता क्रम निम्न प्रकार होगा:

प्रथम वरीयता	: लखनऊ शहर के बाहर रहने वाले दिव्यांग विद्यार्थी
द्वितीय वरीयता	: लखनऊ शहर के 100% दिव्यांग विद्यार्थी
तृतीय वरीयता	: प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले लखनऊ शहर के बाहर वाले विद्यार्थी
चतुर्थ वरीयता	: छात्रावास में पहले से रह रहे विद्यार्थी Self Finance सीट/पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को छोड़कर)
पंचम वरीयता	: अन्य विद्यार्थी

1.20 छात्रावास में रहने के इच्छुक विद्यार्थियों की अधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुएए ऐसे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय के किसी भी Self Finance पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं (दिव्यांग विद्यार्थियों को छोड़कर), उन्हें सत्र 2019-20 से छात्रावास आवंटन नहीं किया जायेगा।

1.21 विश्वविद्यालय के छात्रावास के ऐसे छात्र जिन पर गत सत्र किसी भी प्रकार की जाँच/कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे विद्यार्थियों को भी तब तक छात्रावास का आवंटन नहीं किया जायेगा जब तक कि उनके विरुद्ध जाँच/कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती।

1.22 छात्रावास में सीटों की संख्या सीमित है। छात्रावास में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों के एकरूप (Uniform) निर्धारित प्रतिशत तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की प्राथमिकता के आधार पर होगा।

1.23 छात्रावास केवल उन्हीं विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध होगा जिनमें पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 1 वर्ष हो।

1.24 छात्रावास का आवंटन ऐसे विद्यार्थियों को नहीं किया जायेगा जिनकी विगत वर्ष में छात्रावास में उपस्थिति न्यूनतम 50% से कम रही थी।

1.25 छात्रावास ऐसे विद्यार्थियों को आवंटित नहीं किया जायेगा जिनका विगत वर्ष/वर्षों में छात्रावास के किसी भी प्रकार का शुल्क (मेस शुल्क/छात्रावास शुल्क) बकाया/देय रहा हो।

1.26 छात्रावास में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था केवल उन्हीं दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध रहेगी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर हो। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है वे विद्यार्थी अपने सम्बंधित राज्य के सम्बंधित विभाग से नियमानुसार/अर्हतानुसार मेस शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

1.27 छात्रावास के विनियमों के अनुसार छात्रावास में आवासित विद्यार्थी यदि पन्द्रह दिन से अधिक निरंतरता में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को ही मेस शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर अपने विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित करना अनिवार्य होगा। ऐसे विद्यार्थी जो अपना मेस शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करते हैं या विलम्ब से शुल्क जमा करते हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी।

1.28 जिन विद्यार्थियों को कोई संक्रामक बीमारी/रोग है उन्हें छात्रावास का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। छात्रावास प्रशासन इस सन्दर्भ में विद्यार्थी से चिकित्सा अधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मांग कर सकते है।

1.29 छात्रावास प्रशासन किसी भी विद्यार्थी को अपरिहार्य कारण/आपातकालीन कारण/मादक द्रव्य रखने/हिंसात्मक व्यवहार करने/छात्रावास कर्मियों से दुर्व्यवहार करने के कारण छात्रावास से निष्काषित कर सकता है।

1.30 वृहद् नियम एवं विनियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं छात्रावास कार्यालय में उपलब्ध है एवं प्रत्येक विद्यार्थी इन सभी नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2. व्यवहार और आचरण

2.1 विद्यार्थी से अपेक्षित है कि वे छात्रावास में अनुशासन बनाए रखेंगे तथा ऐसा व्यवहार करेंगे जो स्वीकार्य हो।

2.2 परिसर में मदिरापान, धूम्रपान तथा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग पूर्णतः निषेध है।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक या दलीय बैठक का आयोजन करना/कराना वर्जित है। इसके साथ ही परिसर में रंग या पट। प्रयोग भी वर्जित है।

2.4 विद्यार्थियों को छात्रावास से बाहर रहने या रात्रिवास करने के लिए छात्रावास के चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

2.5 छात्रावास में पठन-पाठन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि परिसर में शोर मचाना या तेज आवाज में टी0वी0, रेडियो तथा अन्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है और रात्रि 10 बजे के उपरान्त दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अतिरिक्त इन यंत्रों का प्रयोग अन्य के लिए पूर्णतः वर्जित होगा।

2.6 रैगिंग एक वैधानिक और नैतिक अपराध है। रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

2.7 यदि किसी भी विद्यार्थी को छात्रावास में आवासित किसी भी अन्य कोई समस्या हो तो वे लिखित रूप से छात्रावास कार्यालय को अपनी शिकायत दें, जिससे समस्या का ससमय निदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छात्रावास अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट को ई-मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है।

2.8 अनावश्यक रूप से दूसरों के कमरे में जाना अथवा दूसरों को अपने कमरे में बुलाना वर्जित है।

2.9 छात्रावास में आवासित विद्यार्थियों को परिसर में स्वच्छ तथा उपयुक्त कपड़े पहनकर रहना तथा मेस, टी0वी0 रूम इत्यादि में जाना अपेक्षित है।

2.10 छात्रावास हेतु निर्धारित समय के उपरान्त छात्रावास में प्रवेश वर्जित होगा। यदि किसी विद्यार्थी को किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना/ कहीं से आना हो तो वह उसकी लिखित पूर्वानुमति ले कर ही ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही उपरोक्त समय के पश्चात् छात्रावास में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुरक्षा गार्ड के पास रक्षित पंजिका में प्रविष्टि करना होगा तथा निरन्तर देरी से आने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।

3. छात्रावास की देख-रेख

3.1 विद्यार्थियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने कमरे तथा छात्रावास परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। यदि कोई विद्यार्थी छात्रावास में स्थित कूड़ेदान के अतिरिक्त कूड़ा इधर-उधर फेंकते हुये या किसी भी प्रकार से छात्रावास को गन्दा करते हुये पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ 500 रू0 का आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा।

3.2 कक्ष में स्थित लाईट एवं पंखा का प्रयोग आवश्यकता होने पर ही करें, कक्ष से बाहर जाने से पूर्व पंखा एवं लाईटों को बंद करके ही बाहर जाये। यदि किसी कक्ष में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में पंखा एवं लाईट खुली हुई पायी जाती है तो उसके विरुद्ध रू0 100 का आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।

3.3 जल का प्रयोग भी सफाई एवं सावधानीपूर्वक करें जिससे जल का संरक्षण संभव हो सके।

3.4 छात्रावास में चाय या खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना एवं अन्य विद्युत उपकरणों यथा (इण्डेक्सन चूल्हा, इलेक्ट्रानिक केतली इत्यादि) का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यदि किसी विद्यार्थी को विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ रू0 200 आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा। साथ ही ऐसे उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा।

3.5 किसी भी सामूहिक या व्यक्तिगत सम्पत्ति का दुरुपयोग या तोड़-फोड़ करना दण्डनीय अपराध माना जाएगा तथा इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जुर्माना भी लगाया जाएगा।

3.6 छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का पोस्टर, अतिरिक्त बैनर या स्लोगन लगाना या चस्पा करना वर्जित है यदि आवश्यक हो तो हेतु रूप से छात्रावास चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।

3.7 किसी विशेष आयोजन हेतु रूप से छात्रावास चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।

3.8 किसी भी टूट-फूट/मरम्मत हेतु शिकायत पुस्तिका में प्रविष्ठि दर्ज कराने के उपरान्त छात्रावास में मरम्मत के कार्य के लिए अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट की अनमुति पर आये छात्रावास या विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कक्ष में प्रवेश देना एवं स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य है, जिससे छात्रावास की समस्याओं का ससमय निवारण किया जा सके।

3.9 छात्रावास प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी आवश्यक कारण से किसी भी विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन/स्थानांतरण कर सकता है।

3.10 छात्रावास में आवासित विद्यार्थी अपने वाहनों को निर्धारित स्थान / छात्रावास भवन के बाहर ही खड़ा करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उन पर विश्वविद्यालय द्वारा रू0 100 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो ति-पहिया साइकिल अथवा चार-पहिया स्कूटर का प्रयोग करते हैं और उसके बिना अपने कक्ष तक नहीं जा सकते, वे अपना इस प्रकार का वाहन अथवा ति-पहिया साइकिल अपने कक्ष तक ले जा सकते हैं।

3.11 वाहन प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंस की प्रति छात्रावास कार्यलय में जमा करना अनिवार्य है।

4. आगंतुक

4.1 छात्रावास में आगंतुक और अभिभावकों/मित्रों/सहयोगियों/वांचकों/व्यैक्तिक सहायकों को केवल छात्रावास के आगंतुक कक्ष में ही मिलने की अनुमति है।

4.2 छात्रावास में किसी भी व्यक्ति के आने पर गार्ड द्वारा मांगे जाने वाले का पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा गार्ड के पास रक्षित पंजिका में प्रविष्टि करवाना भी अनिवार्य होगा, जिसके बिना किसी भी आगंतुक या अभिभावकों का प्रवेश निषेध होगा।

4.3 कोई भी विद्यार्थी किसी विपरीत लिंग के आगंतुक को आगंतुक कक्ष में नहीं ले जा सकता और न ही किसी विपरीत लिंग के सहपाठी को छात्रावास परिसर में बुला सकता है और न ही उसके साथ अभिभावकों एवं छात्रावास की अनुमति के कहीं जा सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही करते हुए छात्रवास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

4.4 चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट की अनुमति के बिना किसी भी गैर-छात्रावास सहपाठी को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

4.5 प्रति आगंतुक/प्रति अतिथि रू० 250.00 प्रति दिन तथा प्रत्येक दिन का वास्तविक भोजन शुल्क देय होगा। विद्यार्थियों को इसकी सूचना कम से कम 3 कार्य दिवसों पहले छात्रावास कार्यालय में लिखित रूप में देनी होगी।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

5. सुर

5.1 विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे छात्रावास के सभी दरवाजे बंद रखें तथा कमरे का दरवाजा बंद रखें और बाहर जाने पर ताला अवश्य लगाएँ।

5.2 किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे मोबाइल, लैपटाप, साइकिल, मोटर साइकिल, इत्यादि की सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की होगी तथा किसी भी वस्तु अथवा पैसे के खो जाने/ चोरी होने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की ही होगी।

5.3 विद्यार्थियों को अपना कमरा बदलने या कहीं और सोने की अनुमति नहीं है।

5.4 यदि कोई विद्यार्थी अपने कमरे में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या कार्य होता देखता है या करता पाया जाता है तो कमरे का दूसरा सदस्य शीघ्र ही इसकी सूचना छात्रावास कार्यालय को दें, जिससे त्वरित कार्यवाही की जा सके।

5.5 छात्रावास में किसी भी नशीले पदार्थ को रखना या उसका सेवन करना दण्डनीय अपराध है पकड़े जाने पर तत्काल छात्रावास आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

5.6 छात्रावास में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र रखना या उसका प्रयोग करना दण्डनीय अपराध है। इसके लिए उसे तत्काल ही छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा।

5.7 छात्रावास में कोई पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं है।

6. छात्रावास मेस

शुल्क का भुगतान

(अ) छात्रावास में आवासित गैर दिव्यांग विद्यार्थी को छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रावास में संचालित मेस हेतु निर्धारित शुल्क के छः माह का भुगतान करने के उपरान्त ही उसे कक्ष आवंटित एवं मेस सुविधा प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में कक्ष आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ब) छात्रावास में आवासित विद्यार्थी यदि पन्द्रह दिन से अधिक निरन्तरता में अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को ही सम्बन्धित माह (प्रत्येक माह की उपस्थिति पर ही यह नियम लागू होगा) के मेस शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। परन्तु ऐसे विद्यार्थी जो निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा करते है या विलम्ब से शुल्क जमा करते है, तो ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी। विद्याथियों को अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित कराना अनिवार्य होगा।

7. मेस समय

छात्रावास में आवासित विद्यार्थी अपने निर्धारित समय पर भोजन या नाश्ते के लिये छात्रावास द्वारा जारी पहचान-पत्र को अपने साथ अनिवार्य रुप से लेकर जाये।

8. आपातकाल

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में छात्रावास के सुरक्षा गार्ड/ केयर टेकर से संपर्क करें जिससे तत्काल उचित कार्यवाही की जा सके। आपातकाल की सूचना तत्काल छात्रावास के अधिकारीगण को दी जाएगी।

9. छात्रावास के नियमों में परिवर्तन या संशोधन

छात्रावास नियमों में परिवर्तन या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा। किसी भी परिवर्तन या संशोधन की दशा में छात्रों को सूचनापट पर सूचना चस्पा कर सूचित किया जाएगा। छात्रावास नियमों की अनभिज्ञता किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगी।

10. छात्रावास में आवागमन

10.1 छात्रावास में आवासित सम्स विद्यार्थियों को छात्रावास के मुख्य प्रवेश द्वार पर आवागमन की प्रविष्टि हेतु रखी गई आवागमन पंजिका में प्रतिदिन छात्रावास से जाने व आने की प्रविष्टि अनिवार्य रुप से दर्ज करनी होगी।

10.2 छात्रावास से घर या किसी नजदीकी अभिभावक के यहाँ जाने पर विद्यार्थियों को इसकी सूचना एक दिन पूर्व कार्यालय समय-प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य देने के साथ ही निर्धारित प्रारुप में समस्त सूचनायें पूर्ण रुप से भर कर कार्यालय में जमा करना होगा। सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार के दिन कार्यालय बन्द रहेगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को समस्त औपचारिकतायें एक दिन पूर्व कार्यालय कार्य दिवस में पूर्ण करनी होंगी।

10.3 अति आवश्यक परिस्थिति में ही विद्यार्थियों को सार्वजनिक अवकाश के दिन चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट की स्वीकृति उपरान्त ही जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

10.4 विद्यार्थियों को प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर छात्रावास में उपस्थित होना होगा।

पुरुष छात्रावास	-	रात्रि 9.00 बजे तक
महिला छात्रावास	-	सायं 08:00 बजे तक (ग्रीष्मकाल) सायं 06:00 बजे तक (शीतकाल)

आवासित विद्यार्थियों को सुबह 6:00 बजे से पूर्व छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। विशेष परिस्थितियों में छात्रावास चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट/प्रोवोस्ट से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. शिकायत या सुझाव

छात्रावास से सम्बन्धित कोई शिकायत या सुझाव केवल लिखित माध्यम से स्वीकार की जायेगी। जिसके लिए सुरक्षा गार्ड के पास विभिन्न मामलों से संबंधित पंजिकाएं जैसे बिजली, पानी, सफाई आदि से संबंधित पंजिका रक्षित की गई है। मांगे जाने पर सुरक्षा गार्ड यह पंजिका विद्यार्थी को उपलब्ध कराएगा।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Challan No.

Bank's Copy

Hostel Challan Form

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.-226017

SB Account No. 36510100000003

Name :-	
Course :-	Semester:-
Session : 2021-22	Date :-
Enrollment No.:-	
Disability:-	Category:-

Annual Fee Detail (New Disabled Students)

1	Hostel Fee	Nill
2	Maintenance Fee	1500
3	Utility Charge	1500
4	Caution Money	1000
	Total	4000

Amount in words: Four Thousand Only

Signature of Receiver With Bank Seal | Checked by | Sig of Depositor

Challan No.

Bank's Copy

Hostel Challan Form

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.-226017

SB Account No. 36510100000003

Name :-	
Father's Name :-	
Course :-	Semester:-
Session : 2021-22	Date :-
Enrollment No.:-	
Disability:-	Category:-

Annual Fee Detail (New Disabled Students)

1	Hostel Fee	Nill
2	Maintenance Fee	1500
3	Utility Charge	1500
4	Caution Money	1000
	Total	4000

Amount in words: Four Thousand Only

Signature of Receiver With Bank Seal | Checked by | Sig of Depositor

Challan No.

Only for Disabled Student's Copy

Hostel Challan Form

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.-226017

SB Account No. 36510100000003

Name :-	
Father's Name :-	
Course :-	Semester:-
Session : 2021-22	Date :-
Enrollment No.:-	
Disability:-	Category:-

Annual Fee Detail (New Disabled Students)

1	Hostel Fee	Nill
2	Maintenance Fee	1500
3	Utility Charge	1500
4	Caution Money	1000
	Total	4000

Amount in words: Four Thousand Only

Signature of Receiver With Bank Seal | Checked by | Sig of Depositor

Challan No.

Office Copy

Hostel Challan Form

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.-226017

SB Account No. 36510100000003

Name :-	
Father's Name :-	
Course :-	Semester:-
Session : 2021-22	Date :-
Enrollment No.:-	
Disability:-	Category:-

Annual Fee Detail (New Disabled Students)

1	Hostel Fee	Nill
2	Maintenance Fee	1500
3	Utility Charge	1500
4	Caution Money	1000
	Total	4000

Amount in words: Four Thousand Only

Signature of Receiver With Bank Seal | Checked by | Sig of Depositor